न्यायालय तहसीलदार/सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

फर्द अहकाम

नाथूराम कुमार बनाम लालचन्द

...म न्यायालय

...स संख्या 82/2018 (धारा ...)

... संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी मुताबिक कुर्जात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर प्र० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –82 / 2018 वाद प्रस्तुति दिनांक –03.07.2018

तमन कुमार पुत्र गणपतराम जाति बलाई निवासी मकान नंबर 247 शिवनगर द्वितीय मुरलीपुर स्कीम जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र कजोड जाति बलाई निवासी मकान नंबर ए– 85 बलाई बस्ती रामदेवजी मंदिर के पिछे हसनपुरा ए तहसील व जिला जयपुर।
2. बंशीलाल पुत्र कजोड (मृतक)

   2 / 1 आशा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी हनुमान जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर

   2 / 2 हेमा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी बलराम जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर

   2 / 3 पूजा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी राजू जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर
3. रामसहाय पुत्र कजोड (मृतक)

   3 / 1 रूकमणी देवी पत्नी स्व. रामसहाय

   3 / 2 सन्नी पुत्र स्व. रामसहाय

   3 / 3 कुलदीप पुत्र स्व. रामसहाय

   जातियान बलाई निवासीयान हनुमान सहाय नेता के मकान के पिछे बलाई बस्ती हसनपुरा ए, तहसील व जिला जयपुर
4. रामधन पुत्र कजोड जाति बलाई निवासी मकान नंबर ए– 85 बलाई बस्ती रामदेवजी के मंदिर के पिछे हसनपुरा ए तहसील व जिला जयपुर
5. गुलाब पत्नी लालचंद जाति बलाई निवासी जालसू रोड मुण्डा सार्जन पुरा जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

6. शम्भूदयाल पुत्र भौरिया जाति बलाई निवासी आरा मशीन के पास, कालवाड बस स्टैण्ड के पास, कालवाड तहसील व जिला जयपुर
7. रूडी देवी पत्नी भौरिया जाति बलाई निवासी आरा मशीन के पास, कालवाड बस स्टेण्ड के पास, कालवाड तहसील व जिला जयपुर
8. रामावतार पुत्र चौथमल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम राधाकिश्नपुरा रोड जालसू वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

(1) श्री अजय कुमार सैनी — अधिवक्ता वादी की ओर से।

(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

सहायक कलक्टर आमेर

दिनांक 04.01.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम गुढा सर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 961 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 962 रकबा 3.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 966 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1052/1318 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.3800 हैक्टेयर से संबधित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 263/1014 हिस्सा निहित है, जिसको वादी ने पूर्व खातेदार काबिज काश्तकारों से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2012 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादी ने अपने कब्जा काश्त हिस्से की भूमि पर नजरी नक्शे मार्क X स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण करवा रखा हुआ है, Y मार्क के स्थान पर बोरिंग बना रखा है, H मार्क स्थान पर बिजली का टांन्सफार्मर रखा हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जमाबंदी अनुसार सहकृषक हैं तथा उक्त आराजीयात सहाकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका आज दिनांक तक मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 01.07.2018 को धमकी दी और गाली गलौच करते हुए एलानिया धमकी दी कि वह वादी को उक्त भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे और उस पर जबरन कब्जा करेंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस व कब्जे के आधार पर तकासमा किया जाकर खाता व लगान से कायम किया जावे।

उपर्युक्त वादग्रस्त प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वाद दिनांक 31.03.2021 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रिवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम गुढा सर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 961 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 962 रकबा 3.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 966 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1052/1318 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.3800 हैक्टेयर भूमि का उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये।

तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई परन्तु राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रिवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना की पूर्ण पालना नहीं करने पर तहसीलदार आमेर को पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा द्वितीय बार कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 28.09.2022 को भिजवाये गये। वादी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
आमेर प्र० जयपुर

1. तमन कुमार पुत्र गणपतराम जाति रैगर सा0 247, शिवनगर द्वितीय मुरलीपुरा स्कीम जयपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू मूर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 962/2 रकबा 0.8550 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8550 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

2. गुलाब देवी पत्नी लालचंद हि. 75/751 जाति बलाई सा. देह बंशीलाल, रामधन, रामसहाय, लालचंद पि. कजोड हि. 1352/3755 जाति बलाई सा. देह रूडी देवी पत्नी भौरिया शम्भूदयाल पुत्र भौरिया हि. 338/751 जाति बलाई सा. देह रामावतार पुत्र चौथमल हि. 338/3755 जाति रैगर सा. ग्राम जालसू खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 962 रकबा 2.4450 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.4450 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

3. गुलाब देवी पत्नी लालचंद हि. 25/338 जाति बलाई सा. देह बंशीलाल, रामधन, रामसहाय, लालचंद, पि. कजोड हि. 4/15 जाति बलाई सा. देह रूडी देवी पत्नी भौरिया शम्भूदयाल पुत्र भौरिया हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह रामावतार पुत्र चौथमल हि. 1/15 जाति रैगर सा. ग्राम जालसू बिना रहन तमन कुमार पुत्र गणतपराम हि. 263/1014 जाति रैगर सा. 247, शिवनगर द्वितीय मुरलीपुरा स्कीम जयपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू मूर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 1052/1318 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 961 रकवा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 966 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्यां –82 / 2018 वाद प्रस्तुति दिनांक –03.07.2018

तमन कुमार पुत्र गणपतराम जाति बलाई निवासी मकान नंबर 247 शिवनगर द्वितीय मुरलीपुर स्कीम जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र कजोड जाति बलाई निवासी मकान नंबर ए– 85 बलाई बस्ती रामदेवजी मंदिर के पिछे हसनपुरा ए तहसील व जिला जयपुर।

2. बंशीलाल पुत्र कजोड (मृतक)

   2 / 1 आशा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी हनुमान जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर

   2 / 2 हेमा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी बलराम जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर

   2 / 3 पूजा देवी पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी राजू जाति बलाई निवासी बलाई बस्ती नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर

3. रामसहाय पुत्र कजोड (मृतक)

   3 / 1 रूकमणी देवी पत्नी स्व. रामसहाय

   3 / 2 सन्नी पुत्र स्व. रामसहाय

   3 / 3 कुलदीप पुत्र स्व. रामसहाय

   जातियान बलाई निवासीयान हनुमान सहाय नेता के मकान के पिछे बलाई बस्ती हसनपुरा ए. तहसील व जिला जयपुर

4. रामधन पुत्र कजोड जाति बलाई निवासी मकान नंबर ए– 85 बलाई बस्ती रामदेवजी के मंदिर के पिछे हसनपुरा ए तहसील व जिला जयपुर

5. गुलाब पत्नी लालचंद जाति बलाई निवासी जालसू रोड गुढा सर्जन वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर

6. शम्भूदयाल पुत्र भौरिया जाति बलाई निवासी आरा मशीन के पास कालवाड बस स्टेण्ड के पास, कालवाड तहसील व जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

7. रूडी देवी पत्नी भौरिया जाति बलाई निवासी आरा मशीन के पास, कालवाड बस स्टेण्ड के पास, कालवाड तहसील व जिला जयपुर
8. रामावतार पुत्र चौथमल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा रोड जालसू वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 04.01.2023

मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. तमन कुमार पुत्र गणपतराम जाति रैगर सा0 247, शिवनगर द्वितीय मुरलीपुरा स्कीम जयपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू मूर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 962/2 रकबा 0.8550 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8550 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. गुलाब देवी पत्नी लालचंद हि. 75/751 जाति बलाई सा. देह बंशीलाल, रामधन, रामसहाय, लालचंद पि. कजोड हि. 1352/3755 जाति बलाई सा. देह रूडी देवी पत्नी भौरिया शम्भूदयाल पुत्र भौरिया हि. 338/751 जाति बलाई सा. देह रामावतार पुत्र चौथमल हि. 338/3755 जाति रैगर सा. ग्राम जालसू खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 962 रकबा 2.4450 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.4450 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
3. गुलाब देवी पत्नी लालचंद हि. 25/338 जाति बलाई सा. देह बंशीलाल, रामधन, रामसहाय, लालचंद, पि. कजोड हि. 4/15 जाति बलाई सा. देह रूडी देवी पत्नी भौरिया शम्भूदयाल पुत्र भौरिया हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह रामावतार पुत्र चौथमल हि. 1/15 जाति रैगर सा. ग्राम जालसू बिना रहन तमन कुमार पुत्र गणतपराम हि. 263/1014 जाति रैगर सा. 247, शिवनगर द्वितीय मुरलीपुरा स्कीम जयपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

शाखा जालसू मूर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 1052/1318 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 961 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 966 रकबा 0. 01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.01.2023 को जारी किया ।

दस्तखत -----

ओहदा -----

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

गुददई	रूपये	पैसे	गुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वजह इजराय हुक्मनामा			वजह इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक	4 रूपये		मुतफर्रिक	4 रूपये	
मीजान			मीजान		